कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

क्रं0/मा0चि0/ 1413 सिंगरौली, दिनांक 20/3/2019

प्रति,

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पूर्व मध्य रेलवे, जबलपुर

विषयः– सिंगरौली जिले में करैला–सिंगरौली रेल्वे लाईन के दोहरीकरण हेतु 21.404 हे0 (आवेदित क्षेत्र 20.791 हे0) हेक्टेयर वन भूमि सहायक अभियंता (निर्माण) पूर्व मध्य रेल्वे, सिंगरौली को पयोग पर देने बावत्।

संदर्भः– (i) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC011/ 2019-BHO/205, दिनांक 06.03.2019।

(ii) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/852/2018/10–11/749 भोपाल, दिनांक 12.03.2019।

–000–

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित करैला से सिंगरौली रेलवे लाइन के दोहरीकरण हेतु वनमण्डल सिंगरौली की प्रभावित वन भूमि रकवा 21.404 हे0 के व्यपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धान्तिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गयी है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धान्तिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं एन.पी.व्ही की राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं0	मद का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	पर्वेक्षण शुल्क की राशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	क्षतिपूरक वनीकरण	50	16360921/–	1636092/–	17997013/–
2	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	21.404	17187412/–	–	17187412/–
	योगः–		33548333/–	1636092/–	35184425/–

3. क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रू 1,79,97,013/– (रू. एक करोड़ उन्नासी लाख सत्तानवे हजार तेरह मात्र) एवं एन.पी.व्ही. की राशि रू 1,71,87,412/– (रू. एक करोड इकहत्तर लाख सतासी हजार चार सौ बारह मात्र) कुल रू 3,51,84,425/– (रू. तीन करोड़ इक्यावन लाख चौरासी हजार चार सौ पच्चीस मात्र) होती है जिसमें से कैम्पा मद में **3,35,48,333/–(रू. तीन करोड़ पैंतीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ तैंतीस मात्र)** भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा पर्वेक्षण शुल्क की राशि रू **16,36,092/–(रू. सोलह लाख छत्तीस हजार बानवे मात्र)** की डी0डी0 वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली के नाम तैयार करा कर प्रस्तुत करें।

4. साथ ही प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ की ओर प्रेषित किया जा सके।

(विजय सिंह)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0क्र0/मा0चि0/ 1414 सिंगरौली दिनांक 20/3/2019

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

Scanned by CamScanner